# जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़

अति अल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 03/ 2016-17

1. विज्ञापन दाता का नाम : जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक 26.10.2016 (3:00बजे अपराह्न तक)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एंव समय : दिनांक 27.10.2016 (3:00बजे अपराह्न तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एंव समय : दिनांक 27.10.2016 (3:30बजे अपराह्न)
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
6. निविदा प्राप्त करने/खोलने का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
7. कार्य की विस्तृत विवरणी :-

| क्र0ग्रुप सं0 | योजना का नाम | प्रखण्ड | प्राक्कलित राशि (रुपये में) | अग्रधन की राशि (रुपये में) | परिमाण विपत्र की राशि (रुपये में) | कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यदेश की तिथि से) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ग्राम पंचायत गोला में रजवार टोला में आँगनबाड़ी केन्द्र के सामने पुलिया एवं पक्की नाली का निर्माण। | गोला | 329900.00 | 6600.00 | 750.00 | 01 माह |

निविदा की शर्ते जिला परिषद, रामगढ़ के सूचनापट्ट पर देखी जा सकती है ।

नोटः-*जिला परिषद, रामगढ़ में समूचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।*

जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ।

नियम एंव शर्तें:-

1. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र में अंकित अग्रधन की राशि 2% राष्ट्रीयकृत बचत प्रमाण - पत्र 6/8वाँ निर्गम या 3/5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के नाम से प्रतिज्ञिप्त (pledged) हो संलग्न करना अनिवार्य है।

2. परिमाण विपत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही मान्य होगा। बैंक ड्राफ्ट जिला अभियंता जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रामगढ़ में भुगतेय होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की वैधता निविदा निर्गत की तिथि से कम से कम तीन माह का होना अनिवार्य है।

3. परिमाण विपत्र की क्रय के समय वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र एवं निबंधन से संबंधित मुल अभिलेख की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र नहीं दिया जाएगा।

4. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि अपने खर्च पर स्थल का अवलोकन कर स्थिति की समीक्षा कर लें एवं संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लें।

5. किसी भी संवेदक को कार्य के आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन माना जाएगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

6. लघु खनिज नियमावली 1992 के नियम 110 अनुपालन करना होगा। सभी व्यवहृत लघु खनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कार्य एन0एच0फार्म की उपलब्धता पर ही संपादित कार्यो का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि अवकाश घोषित होता है, तो अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जाएगी।

8. निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

9. निविदा प्रपत्र में सन्निहित सभी शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

10. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सामग्री (सीमेंट, लोहा इत्यादि) एंव यांत्रिक उपकरण (मिक्सचर मशीन, भाईब्रेटर इत्यादि ) मुहैया नहीं करायी जायेगी।

11. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन के बिना विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. निविदा के पूर्व कार्य स्थल एवं सामग्री स्त्रोतों की जानकारी सुनिश्चित कर लेगें।

13. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।

14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं इसके निमित कोई सूचना अलग से नहीं दी जायगी।

15. निविदा के साथ पैन कार्ड, बिक्री कर, स्वच्छता प्रमाण - पत्र, निबंधन पहचान पत्र, चरित्र प्रमाण -पत्र एवं लेबर लाईसेन्स इत्यादि पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा

16. सामान्यतः इन कार्यो के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी एंव एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

17. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई न्युनतम मजदुरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

18. निविदा दाताओं को संबंधित कार्य का एक समबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगा।

19. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ0टु0 (F2) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

20. एकरारनामा के समय एकरारित राशि की 3% राष्ट्रीय बचत प्रमाण- पत्र 6/8वॉ निर्गम 3/5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारन्टी जिसकी न्युनतम वैधता दो वर्ष हो, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त हो लिया जायेगा। शेष 5% चलता लेखा विपत्र से काटा जायेगा ।

21. प्राक्कलन की राशि घट बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि परिवर्तन हो सकता है।

22. संवेदक द्वारा निविदत राशि 10% से कम दर पर दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।

23. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करें या सुचना पट्ट देखें।

24. UCAN पंजीयन रसीद की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

25. प्रत्येक परिमाण विपत्र क्रय हेतू अलग - अलग मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट का होना अनिवार्य है।

26. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया गया था एवं उनके द्वारा कार्य लंबित है, वैसे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।

जिला अभियंता,

जिला परिषद, रामगढ़।